न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

प्रकरण संख्या –41 / 2021 (अपील)

GCMS No.- 2021/202

1. देवीलाल दत्तक पुत्र दयाल जाति गुर्जर
2. भंवरी बेवा दयालय जाति गुर्जर निवासीगण पून्यादेवरी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–अपीलाण्ट.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

–रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या –726 दिनांक 09.01.2007 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा

उपस्थितः–

1. श्री रघुवीर सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक– 12.10.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है किअधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा ग्राम पून्या देवरी तहसील लाडपुरा में मुताबिक पटवारी रिपोर्ट, जांच भू–अभिलेख निरीक्षक एवं सजरा अनुसार मृतक खातेदार दयाल पुत्र सूरा का फौती नामान्तकरण संख्या 726 दिनांक 09.01.2007 स्वीकृत किया गया ।

2. उक्त नामान्तकरण आदेश दिनांक 09.01.2007 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11.08.2021 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक दयाल का फौती नामान्तकरण संख्या 726 दिनांक 9.1. 2007 को तस्दीक किया गया है इस हद तक कि मृतक दयाल क एक पुत्र देवीलाल तथा बेवाभंवरी बाई है जो उक्त नामान्तकरण सजरा में भी अंकित है किन्तु नामान्तकरण में देवीलाल पिता दयाल के स्थान पर पिता का नाम सूरा तथा भंवरी के पति के नाम दयाल के स्थान पर सूरा दर्ज कर दिया गया है जबकि सूरा जी जो अपीलान्ट नं01 के दादा तथा अपीलान्ट नं02 के ससुर है । उक्त इन्तकाल में पटवारी हल्का ने स्पष्ट रिपोर्ट की है कि मृतक दयाल के वारिसान मुताबिक सजरा है किन्तु उक्त नामान्तकरण दयाल के वारिसान के नाम जो उक्त इन्तकाल तस्दीक किया गया है में अपीलान्ट नं0 1 के पिता दयाल के स्थान पर दादा का नाम सूरा अंकित

जिला कलेक्टर
कोटा

7. प्रस्तुत अपील के संलग्न नामान्तकरण की प्रति का अवलोकन किया, जिसमें दयाल पुत्र सूरा का फौती नामान्तकरण संख्या 726 दिनांक 9.01. 2007 तस्दीक किया गया है, जिसमें अंकित सजरा अनुसारदयाल के वारिसान में देवीलाल पुत्र एवं भंवरी बाई पत्नि होना अंकित है, तथा पटवारी द्वारा भी सजरा अनुसार ही नामान्तकरण दर्ज करना अंकित किया है किन्तु लिखित भूलवश देवीलाल पुत्र दयाल के स्थान पर देवीलाल पुत्र सूरा अंकित हो गया है तथा भंवरी बाई बेवा दयाल के स्थान पर भंवरी बाई बेवा सूरा जाति गुर्जर अंकित हो गया हैं जो दुरूस्त किये जाने योग्य है । अपील स्वीकार योग्य पाते है ।

8. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट नं0 1 देवीलाल के पिता का एवं अपीलान्ट नं0 2 के पति का नाम सूरा के स्थान पर दयाल दुरूस्त किये जाने की हद तक नामान्तकरण संख्या 726 दिनांक 09.01.2007 निरस्त किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा